Dainik Bhaskar

Bank suspended the recruitment of support staff

श्रीगंगानगर | सहकारीबैंक में सहायक कर्मचारियों के 19 पदों के लिए एमडी की ओर से दो दिन पूर्व जारी किए भर्ती आदेश के संबंध में मंगलवार को भास्कर में खबर प्रकाशित होने पर शाम को भर्ती स्थगित कर दी गई।

सहकारिता विभाग की रजिस्ट्रार डॉ. रेखा गुप्ता के स्थगन आदेश शाम कलेक्टर को मिले और उन्होंने तुरंत भर्ती स्थगित करने के लिए एमडी को निर्देश दिया। इस बीच जन संगठनों के विरोध के चलते आवेदनों की शॉर्ट लिस्ट भी बैंक प्रबंधन को आनन-फानन में रोकनी पड़ी। इससे पूर्व दिन आवेदन जमा करवाने के अंतिम दिन मंगलवार को 1600 आवेदकों ने फार्म जमा करवाए।

सोमवार को करीब 150 बेरोजगार युवक-युवतियों ने फार्म जमा कराए थे।

उल्लेखनीय है कि को-ऑपरेटिव बैंक के एमडी डॉ. खन्ना गुपचुप तरीके से 19 पदों पर सहायक कर्मचारियों की भर्ती कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने तमाम नियमों का मखौल उड़ाते हुए शनिवार को एक समाचार-पत्र में विज्ञप्ति जारी की। इस विज्ञप्ति में तो आदेश क्रमांक थे और ही जारी करने की दिनांक। अगले दिन रविवार होने के कारण बेरोजगार युवकों को मात्र दो दिन फार्म जमा करवाने का मौका मिला।

बिना हस्ताक्षर के नोटिस चस्पां

शाम को भर्ती स्थगन की सूचना पाकर कार्यकारी अधिकारी दीपक कुक्कड़ ने आनन-फानन में स्थगन आदेश की सूचना कंप्यूटर से निकलवाकर बैंक के प्रधान कार्यालय के गेट और परिसर में चस्पां करवा दी, लेकिन नीचे एमडी के हस्ताक्षर नहीं थे। इस बीच कालूराम मेघवाल के नेतृत्व में रात्रि 8 बजे अनेक लोग बैंक कार्यालय पहुंचे। दरअसल इन लोगों को भनक लगी थी कि एमडी आवेदकों के फार्म शॉर्ट लिस्ट करवा रहे हैं। बैंक के प्रशासनिक भवन में रात के समय कर्मचारी फार्मों की छंटाई कर रहे थे। कर्मचारियों ने लोगों को कहा कि वे तो फार्म इकट्ठे कर रहे थे मौके पर अधिशासी अधिकारी दीपक कुक्कड़ भी बैठे थे।

बैंक पहुंचे लोगों ने किया हंगामा

बैंक पहुंचे लोगों ने हंगामा करते हुए कर्मचारियों के देर रात तक बैठने और बिना हस्ताक्षर स्थगनादेश चस्पां करने का विरोध किया। कालूराम मेघवाल ने आरोप लगाया कि बैंक प्रबंधन ने सांठ-गांठ कर पहले से अपने चहेते लोगों का चयन कर लिया है। उन्होंने कहा कि इनमें से 7 लोग तो एमडी खन्ना के रिश्तेदार हैं। साथ ही मेघवाल ने आरोप लगाया कि शेष 12 पदों पर चयनित लोगों से रिश्वत के रूप में मोटी रकम वसूल की है।

विरोध हुआ तो लगा हस्ताक्षरित नोटिस

मौके पर जब आरक्षण मंच के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया तो ईओ कुक्कड़ ने नोटिस दुबारा टाइप करवाया और प्रिंट लेकर हस्ताक्षरित नोटिस चस्पां करवाया गया। इस पूरे मामले के बारे में जब एमडी खन्ना से बातचीत करने का प्रयास किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। इससे पहले सुबह जब लोगों को भास्कर के समाचार से जानकारी मिली तो बड़ी संख्या में युवक-युवतियां फार्म जमा करवाने पहुंचे। भीड़ ज्यादा होने के कारण इन्हें कतार में खड़ा होना पड़ा।

कलेक्टर को निर्देश देकर रुकवा दी भर्ती

कलेक्टर को निर्देश देकर 19 सहायक कर्मचारियों के पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी है। जहां तक एमडी पर चहेतों को नौकरी देने के आरोप का मामला है, इसकी जांच करवा ली जाएगी। इसके बाद आगे जो भी होगा, कार्रवाई की जाएगी।